

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमसा यज्ञ अवधार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि विरीजन अवधारिकारी के नाम से।
राज्यक्रियत विषय पर यह पूर्ण में यज्ञ
अवधार हुआ हो तो पञ्च रामांक एवं दिलोक
अवधार लिखा जावे जिससे आवेदा हो।



ग्राम : गृहीतिंटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4538 (B)

दिनांक: 13/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जी.आई.सी.टी.एस. कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्यूकेशन, ग्वालियर (0751-2448801) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्थ प्रदान करने के लिये गावीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत बिन्नामुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442704)
- (2) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अवृद्ध है कि वे परिवियम 27/28 के प्राप्तान्तरों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर सुल्क, धरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राविकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा मरियादा एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र एवं तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की लिखुनियतों का प्रमाण एवं वैतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित होने। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेदन है कि वे उक्त विधायित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में ढारा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देरी के लिए अवाविद्यालय तथा उत्तरदायी होगा। विरुद्धी सूचना अनुकूल, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति तथा विरुद्ध हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खलप रु. 5,000/- जमा करने होंगे। तपश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुरुषगत किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छारों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता भाऊ में कार्यात् अधीक्षक / कार्यात् अधीक्षक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों ने दी.ए. / डी.ए. / मावदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि छांगोंते के संयोजक द्वे संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आनुकूल उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसंचिव (सम्बद्धता)